न्यायालय अपर समाहर्त्ता, बोकारो।

भू–हदबंदी अपील वाद संख्या–01/2013

(भुवनेश्वर प्रजापति बनाम् प्रदीप ठाकुर एवं अन्य)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
02/06/18	प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) के न्यायालय का भू–हदबंदी वाद संख्या–16/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2012 के विरूद्ध श्री भुवनेश्वर प्रजापति पिता स्व0 रोहन प्रजापति, ग्राम–बडकी पुनू पोस्ट–बडकी पुनु, थाना–महुआटॉड, जिला–बोकारो के द्वारा अपीलवाद दायर किया गया है।	

विवादित भूमि का विवरणः–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
बडकी पुनू	21	2191	0.04 ए0
	38	2211	0.08 ए0

C. C. Issued Vide No. 3263 Dated 29/6/18

C. C. Issued Vide No. 3190 Dated 29/6/18

दायर किये गये अपीलवाद में विधिवत् उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत विवादित जमीन के अन्तर्गत सिर्फ प्लॉट नं0–2191 का Adjoining रैयत हैं न कि दोनों प्लॉटों का, जबकि उक्त विवादित भूमि का दोनों प्लॉट एक दूसरे से सटे होने के कारण अपीलार्थी दोनों प्लॉटों का Adjoining रैयत हैं। जब क्रेता स्वयं प्रश्नगत दोनों प्लॉटों का Adjoining रैयत हैं, तो फिर द्वितीय पक्ष के द्वारा विवरणांकित भूमि पर धारा भू–हदबंदी अधिनियम की धारा 16 (3) के तहत् लाया गया है, जो चलने लायक नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपने लिखित बहस में यह भी वर्णित किया गया है कि विवादित भूमि आवासीय योग्य भूमि है, न कि कृषि योग्य। आवासीय योग्य भूमि पर भू–हदबंदी अधिनियम 16 (3) लागू नहीं होता है। जहॉ तक खतियान में कृषि योग्य भूमि वर्णित है, तो 85 वर्ष पूर्व खतियान का संधारण हुआ था, तब से भूमि का स्वरूप बदल चुका है, ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) के न्यायालय का भू–हदबंदी वाद संख्या–16/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2012 को रद्द करते हुए अपील वाद को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि खाता नं0–21, प्लॉट नं0–2191, रकवा–0.04 एकड़ जमीन की दक्षिण सीमा पर उनकी क्रय की हुई जमीन खाता नं0–21, प्लॉट नं0–2191, रकवा–0.04 एकड़ जमीन अवस्थित है। विवादित जमीन खाता –38, प्लॉट नं0–2211, रकवा–0.08 एकड़ जमीन प्रश्नगत खाता नं0–21, प्लॉट नं0–2191, की उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। इस प्रकार प्रतिपक्षी श्री भुवनेश्वर प्रजापति द्वारा क्रय की हुई दोनों प्लॉटों के जमीन का Adjoining रैयत हो जाते हैं। फलस्वरूप प्रश्नगत जमीन को क्रय करने का पूर्वाधिकार (pre-emption) का अधिकार प्रतिपक्षी का है। साथ ही सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि आवेदित भूमि कृषि योग्य है। चूँकि संबंधित भूमि के आस–पास कहीं भी मकान इत्यादि अवस्थित नहीं है। विवादित भूमि पर भू–हदबंदी अधिनियम 16(3) से बचने के उद्देश्य से इनके द्वारा अपने द्वारा क्रय की गयी भूमि के केवाला में धानखेत आवासीय योग्य भूमि जान–बुझकर दर्ज कराया गया है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) के न्यायालय का भू–हदबंदी वाद संख्या–16/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2012 में किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दाखिल अपील वाद को खारिज करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। अपर समाहर्त्ता, बोकारो। (हस्ताक्षर) 06/1/A अपर समाहर्त्ता, बोकारो। (हस्ताक्षर) 06/1/6

Digitally signed by MOHAMMAD MUMTAZ ANSARI
Date: 2024.12.30 12:01:13 +05:30
Location: 192.168.1.101